The Uttar Pradesh High Court (Letters Patent Appeal Samapati) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972

Act 33 of 1972

Keyword(s):
Text of Act is in Hindi, High Court, Appeal, Judge

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

Cop. 3
135883

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1972)

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 26 जुलाई, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 1 अगस्त, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।)

("भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अगस्त, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 अगस्त, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1962 को संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

उ० प्र० अधिनियम 14, 1962 में नई धारा 4 का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1962 में धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय; अर्थात्:—

"4—(1) किसी वाद या कार्यवाही से, जो चाहे इस धारा के प्रारम्भ होने से पहले या उसके पश्चात् संस्थित अथवा प्रारम्भ की गयी हो, उत्पन्न होने वाली किसी अपील में राजस्व परिषद् द्वारा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 अथवा 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम अथवा उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, अथवा जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, अथवा कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 के अधीन दिये गये अथवा दिये जाने के लिये तात्पर्यित निर्णय, डिक्री या आज्ञा के सम्बन्ध में, अथवा चकबन्दी संचालक (जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी भी है जो चकबन्दी संचालक की शक्तियों तथा कर्तव्यों का तात्पर्यित प्रयोग तथा पालन कर रहा हो) द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन दिये गये या दिए जाने के लिए तात्पर्यित निर्णय, डिक्री या आज्ञा के सम्बन्ध में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा 227 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके कृत निर्णय अथवा आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय में नहीं की जा सकेगी, भले ही यू० पी० हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, 1948 के खण्ड 7 तथा 17 के साथ पठित हर मैजेस्टी के लैटर्स पेटेन्ट, दिनांक 17 मार्च, 1866 के खण्ड दस में अथवा अन्य किसी विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो ।

कतिपय मामलों में रिट याचिका के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय या दी गयी आज्ञा के विरुद्ध अपीलों की समाप्ति

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, इस धारा के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व विचाराधीन सभी अपीलें उसी प्रकार सुनी और निस्तारित की जायेंगी मानो कि यह धारा अधिनियमित न की गयी हो ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12, 1972 का निरसन

3—उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन,) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 21 जुलाई, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

पी०एस०यू०पी०—ए० पी०—184 जनरल (लेग०)—1972—1884+50 SS (मे०) ।